— :: कार्यालय नायब तहसीलदार छिन्दवाडा ::—

क्रमांक /94/प0-2 /ना तह0/2013-14 छिन्दवाडा दिनांक 20/1/14

प्रति,

कलेक्टर महोदय
आर0 दो0 (एक) शाखा
छिन्दवाडा

विषय:—**केन्द्रीय विद्यालय क्र0 02 छिंदवाड़ा के भवन निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण प्रमाण पत्र के संबंध मे ।**

संदर्भ — आपके कार्यालय का पत्र क्र0 37/वि0भवन/कें0वि0क्र02 छिन्द0/2013-14/355 दिनांक 18/01/2014 ।

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्र के परिपालन में हल्का पटवारी से आवेदक को कब्जा सौंप कर प्रतिवेदन
मगाया गया। हल्का पटवारी ने अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया कि ग्राम इमलीखेडा ब0न0 07 प0ह0न0
15 रा0नि0मं0 छिन्दवाडा-2 तहसील व जिला छिन्दवाडा के खसरा नंबर 63/3 रकबा 2.023 हे0 भूमि जो
कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली (भारत सरकार) द्वारा प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2
छिन्दवाडा के नाम पर दर्ज है।

अतः हल्का पटवारी के द्वारा इमलीखेडा ब0न0 07 प0ह0नं0 15 रा0नि0म0 छिन्दवाडा-2 तहसील व
जिला छिन्दवाड़ा के खसरा नंबर 63/3 रकबा 2.023 हे0 भूमि का प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2
छिन्दवाड़ा को अधिपत्य दिलाया गया।

अतः उक्त भूमि में केन्द्रीय विद्यालय भवन का स्थायी निर्माण किया जा सकता है।

अतः उक्त भूमि में केन्द्रीय विद्यालय भवन का स्थायी निर्माण किया जा सकता है।
अतः उक्त भूमि में केन्द्रीय विद्यालय भवन का ... कलेक्टर महोदय छिन्दवाड़ा के रा0प्र0क्र0 51/अ-19(3)/2012-13 संशोधित
आदेश दिनांक 03/08/2013 के पालनार्थ सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

अतएव न्यायालय कलेक्टर महोदय छिन्दवाड़ा के रा0प्र0क्र0 51/अ-19(3)/2012-13 संशोधित

Handed Over
20/1/2014 N.T.

नायब तहसीलदार
छिन्दवाड़ा
तह0 छिन्दवाडा
जिला छिन्दवाडा

Taken Over
20/1/14
प्राचार्य/Principal
केन्द्रीय विद्यालय क्र 2 छिंदवाड़ा
Kendriya Vidyalaya No.2
Chhindwara (M.P.) 480001

प्रतिलिपि:—(1) अनुविभागीय अधिकारी महोदय छिन्दवाडा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
(2) केन्द्रीय विद्यालय संगठन नई दिल्ली (भारत सरकार) द्वारा प्राचार्य केन्द्रीय विद्यालय क्र02
छिन्दवाड़ा तहसील व जिला छिन्दवाडा को सूचनार्थ।

N.T.
20/1/2014
नायब तहसीलदार

भूमि का ब्योरा हेक्टेयर मे एंव करो का ब्योरा रुपये पैसों मे

फार्म पी-II
खसरा

तिथि : ०६/०[illegible]१३ १३:२७

NIC-VER4-RS

2019960010

ग्राम ईमलीखेडा   हल्का ईमलीखेडा   रा. नि. नं छिन्दवाड़ा-२   तहसील छिंदवाड़ा.   जिला छिंदवाड़ा   वर्ष २०१२-२०१३.

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का नाम, उसके पिता का या पति का नाम तथा निवास स्थान, अधिकार जिसके अन्तर्गत भूमि धारण की गई हो और देय राजस्व का लगान	किसी भूमिस्वामी या पट्टेदार का या किसी मोरूसी काश्तकार के उप पट्टेदार का नाम, पिता का नाम, लगान या पट्टे की रकम और उस पट्टे पर दिये गये भाग का क्षेत्रफल	खाते की भूमि: क्षेत्रफल जिसमें वर्ष के दौरान में फसल उगाई गई — फसल का नाम	क्षेत्रफल	दुफसली क्षेत्रफल	पड़ती का क्षेत्रफल — चालू वर्ष की पड़ती	२ से ५ वर्ष तक की पड़ती	अन्य पड़ती अर्थात् ५ वर्ष से अधिक	खाते के बाहर के क्षेत्रों में बोई गई फसल का नाम तथा क्षेत्रफल	कैफियत
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२
६३/३	२.०२३	केन्द्रीय विधालय संगठननई दिल्ली (भारत सरकार) द्वारा प्राचार्य केन्द्रीय विधालय क्रमाक-२ छिन्दवाड़ा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व १.००							२.०२३		कलेक्टर न्यायालय प्र.क्र-३८९/आर-दो/एच/२०१३ आदेश दिनाक ३०.५.२०१३ रा.प्र.क्र-कलेक्टर न्यायालय ५१/अ-१९(३)□२०१२-२०१३ आदेश दिनाक १०.६.२०१३ न्यायलय नायब तहसीलदार के रा.प्र.क्र-१०७/अ-६/आ/२०१२-२०१३□आदेश दिनाक १७.६.२०१३ के अनुसार नाम परिवर्तन संशोधित आदेश दिनाक ३.८.२०१३ के श्रीमन कलेक्टर महोदय केआदेशनुसार

नायब तहसीलदार / तहसीलदार
छिन्दवाड़ा प्रतिलिपि प्रदान विभाग

ग्राम इमलीखेड़ा-१५ बं.न. ७ | हल्का इमलीखेड़ा | रा.नि.मं. छिन्दवाड़ा | तहसील छिंदवाड़ा | जिला छिंदवाड़ा | वर्ष २०१७-२०१८

खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया मांग				वसूलियां					खजाने में जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाकी			वर्ष की समाप्ति के पश्चात की वसूलियां			जारी की गई वसूली आदेशिका के ब्यौरे
खाते का अनु क्रमांक	भूमिस्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	मेंशन/ भूमि क्रमांक भू-खण्ड क्रमांक का क्रमांक	भू-खण्ड क्रमांक का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किस्तों का ब्यौरा	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अथवा	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
४९२																						
			२०१४-२०१५	बकाया	१.००		१.००									३.००		३.००				
			२०१५-२०१६	बकाया	१.००		१.००															
			२०१६-२०१७	बकाया	१.००		१.००															
	केन्द्रीय विधालय संगठननई दिल्ली (भारत सरकार) व्दारा प्राचार्य केन्द्रीय विधालय क्रमाक-२ छिन्दवाड़ा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	६३१	२.०२३ १.००	I II																		
	१		२.०२३ १.००		३.००		३.००									३.००		३.००				

vt

प्रतिलिपि देने वाले के हस्ताक्षर :
नाम, पद एवं दिनांक :

प्रभारी तहसीलदार

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा

राजस्व प्रकरण कमांक /51/ अ–19(3)/2012–13
मौजा ग्राम इमलीखेडा ब0नं0 6 प0ह0नं0 15
तहसील व जिला छिन्दवाडा।

1–उप–आयुक्त,
केन्द्रीय विद्या लय संगठन,
क्षेत्रीय कार्यालय, जबलपुर (म0प्र0)
द्वारा–प्राचार्य, केन्द्रीय विद्या लय,
कमांक–2, छिन्दवाडा,
तहसील व जिला छिन्दवाडा

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

आदेश

(पारित दिनांक 10 जून, 2013)

आवेदित विभाग प्राचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, कमांक–2, छिन्दवाडा, तहसील व जिला छिन्दवाडा द्वारा अपने पत्र कमांक–37/के0वि0–2/छिन्द/2011–12/86, दिनांक 13.1.2012 के अनुसार केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु ग्राम इमलीखेडा, ब0नं0–06, प0ह0नं0–15, तहसील व जिला छिन्दवाडा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर–63/1 कुल रकबा 7.835 हेक्टेयर में से 5 एकड (2.023 हेक्टेयर) भूमि की मांग की गई है ।

2 अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) छिन्दवाडा से प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में जॉच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। उनके द्वारा अपने जॉच प्रकरण कमांक 8/अ–19(3)/2012–13 प्रतिवेदन दिनांक 6.6.2013 के अनुसार तहसीलदार, छिन्दवाडा के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए ग्राम मौजा इमलीखेडा, ब0नं0–06, प0ह0नं0–15, तहसील व जिला छिन्दवाडा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर–63/1 कुल रकबा 7.835 हेक्टेयर भूमि में से 2.023 हेक्टेयर केन्द्रीय विद्यालय कमांक–2, छिन्दवाडा को आबंटित किये जाने की अनुशंसा की है ।

3 तहसीलदार, छिन्दवाडा ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 5.6.2013 में प्रतिवेदित किया है कि ग्राम में इश्तहार का प्रकाशन किया जाकर आपत्तियां आमंत्रित की गई निर्धारित समयावधि में कोई भी दावा आपत्ति प्राप्त नही हुई । स्थानीय निकाय ग्राम पंचायत ईमलीखेडा, सहायक संचालक, ग्राम एवं नगर निवेश, छिन्दवाडा, मुख्य अभियन्ता, म0प्र0रा0वि0मं0 छिन्दवाडा तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, छिन्दवाडा से प्रश्नाधीन भूमि आबंटन के संबंध में आपत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु पत्र जारी किया गया । स्थानीय निकाय ग्राम पयायत इमलीखेडा द्वारा ग्राम

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

पंचायत के प्रस्ताव सहित पत्र जारी कर ग्राम में उक्त कार्य हेतु प्रश्नाधीन भूमि के आबंटन पर ग्राम की जनता या पंचायत को कोई आपत्ति नही है । कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) पूर्व संभाग म.प्र.क्षे.वि.कं.लि. छिन्दवाडा ने निर्धारित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदाय किया है । कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, छिन्दवाडा द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के आबंटन पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए लेख किया है कि उन्हें प्रश्नाधीन भूमि आवेदित संस्था को आबंटित किये जाने पर कोई आपत्ति नही है । सहायक संचालक, ग्राम एवं नगर निवेश, छिन्दवाडा ने समय सीमा में अनापत्ति प्रस्तुत नही की है उनके द्वारा मौन स्वीकृति व्यक्त करती है ।

4. प्रश्नाधीन भूमि आबंटन के संबंध में ग्राम के पटवारी हल्का से बिन्दुवार प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है :—

1. ग्राम का कुल रकबा 320.154 हेक्टेयर है ।
2. ग्राम में खाते का कुल रकबा 272.950 हेक्टेयर है ।
3. ग्राम में चराई का रकबा 5.851 हेक्टेयर है ।
4. ग्राम में खाते के रकबे में से 7.5 प्रतिशत के मान से रकबा 20.471 हेक्टेयर है ।
5. ग्राम में खाते के रकबा में से 5 प्रतिशत के मान से रकबा 13.647 हेक्टेयर है ।
6. ग्राम में खाते के रकबे में से 2 प्रतिशत के मान से रकबा 5.459 हेक्टेयर है ।
7. प्रश्नाधीन भूमि 10000 से कम जनसंख्या वाले ग्राम की है ।
8. प्रश्नाधीन भूमि मौके पर रिक्त है, मौके पर कोई भी नदी, नाला, देवस्थान, मंदिर, मस्जिद, कब्रस्थान आदि नहीं है ।
9. प्रश्नाधीन भूमि के ऊपर से कोई भी हाईटेंशन विद्युत लाईन नही गुजरती है ।
10. प्रश्नाधीन भूमि ग्राम की आबादी से लगभग 1.00 कि0मी0 की दूरी पर है।
11. प्रश्नाधीन भूमि के आबंटन से ग्राम के किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति नही है, जिसकी पुष्टि ग्राम में प्रकाशित इस्तहार तथा ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र से होती है ।
12. प्रश्नाधीन भूमि के आबंटन से ग्राम का चराई का रकबा प्रभावित नही होगा ।
13. प्रश्नाधीन भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग छिन्दवाडा—नागपुर से लगी हुई है ।

5. प्रश्नाधीन भूमि के समर्पण हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, का पत्र क्रमांक एफ—6—7/2013/सात/2 बी, भोपाल दिनांक 13.02.2013 की कंडिका (2) में लेख है कि "कलेक्टर जिले में स्थित विभिन्न विभागों के कार्यालयो/कार्यस्थलों आदि के लिए उन्हें आबंटित/आरक्षित भूमि की जानकारी संकलित करेगा एवं वर्तमान संदर्भ में संबंधित विभाग को भूमि की आवश्यकता की समीक्षा करेगा । यह समीक्षा कलेक्टर द्वारा संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ परामर्श कर की जाएगी । उक्त समीक्षा के दौरान कलेक्टर द्वारा आवश्यक सुसंगत दस्तावेज भी प्राप्त किए जा सकेगें । भूमि की आवश्यकता का आंकलन करते समय विभाग / विभागाध्यक्ष की परियोजना संबंधी मान्य मापदंडों के अनुरूप, यदि उपलब्ध हो तो, परीक्षण भी किया जाना चाहिए । संरचना की भूमि की आवश्कता के परीक्षण के

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

कलेक्टर
छिन्दवाड़ा

दौरान क्षितिजीय प्रसार (horizontal spread) की जगह उर्ध्वाधर रचना (vertical rise) की संभावना पर भी विचार किया जा सकेगा । यदि वर्तमान संदर्भ में कलेक्टर यह पाते है कि किसी विभाग को आबंटित/ आरक्षित भूमि आवश्यकता से अधिक है अथवा उक्त विभाग को प्रश्नाधीन भूमि की आवश्यकता ही नही है तो संबंधित भूमि को संभागीय आयुक्त के अनुमोदन उपरान्त राजस्व विभाग के पक्ष में वापिस लेने का निर्णय ले सकेगा'' ।

उक्त निर्देशों के परिपालन में इस न्यायालय के पत्र कमांक–357/आर0दो0 (एच)/2013, दिनांक 20 मई, 2013 द्वारा समर्पण हेतु अनुमोदन चाहा गया था । आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर द्वारा अपने पत्र कमांक–495/एक–2/41/2013, जबलपुर, दिनांक 30 मई, 2013 में लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल, का परिपत्र क्रमांक एफ–6–7/2013/सात/2 बी, भोपाल दिनांक 13.02.2013 में दिये गये निर्देशों एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 कमांक–1 की संशोधित कंडिका 36 के अधीन समीक्षा उपरान्त पशु चिकित्सा विभाग से मौजा इमलीखेडा, तहसील व जिला छिन्दवाडा स्थित भूमि खसरा नंबर 65 रकबा 16.924 हेक्टेयर में से 8.093 एवं खसरा 63/1 रकबा 7.835 हेक्टेयर में से 2.023 हेक्टेयर कुल रकबा 10.116 भूमि पशु पालन विभाग से राजस्व विभाग को समर्पित करने हेतु अनुमोदन दिया गया है'' ।

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र कमांक–एफ–6–2009/सात/नजूल, भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर, 2009 के द्वारा नवोदय/केन्द्रीय विद्यालय हेतु शून्य प्रब्याजि एवं 1/– वार्षिक भू–भाटक पर भूमि आबंटित किये जाने के निर्देश दिये गये है ।

6. प्रकरण का अद्योपांत अवलोकन किया गया। जॉच अधिकारी तहसीलदार/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छिन्दवाडा द्वारा की गई जॉच एवं अनुशंसा तथा केन्द्रीय विद्यालय कमांक–2, छिन्दवाडा को मौजा मौजा इमलीखेडा, ब0नं0–06, प0ह0नं0–15, तहसील व जिला छिन्दवाडा स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर–63/3 रकबा 2.023 हेक्टेयर भूमि तहसीलदार, छिन्दवाडा द्वारा तैयार किये गये नक्शा लाल स्याही अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड–चार कमांक–2 की कंडिका–5 के अंतर्गत आवेदित विभाग उप–आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय, जबलपुर को केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र कमांक–एफ–6–2009/सात/नजूल, भोपाल, दिनांक 4 नवम्बर, 2009 के अनुसार शून्य प्रब्याजि एवं 1/– वार्षिक भू–भाटक पर भूमि निम्न शर्तों के अधीन आबंटित की जाती है :–

(1) उक्त आबंटित भूमि का उपयोग उक्त निर्धारित प्रयोजन के लिये ही किया जायेगा।

(2) भूमि का निर्धारित समयावधि में निर्धारित उपयोग न होने की स्थिति में भूमि वापस ली जा सकेगी।

(3) प्रश्नाधीन भूमि पर निर्माण कार्य करने के पूर्व आवेदित विभाग को नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से निकाय अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा भवन निर्माण अनुज्ञा ग्राम पंचायत से प्राप्त कर उनके द्वारा अधिरोपित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

(4) प्रश्नाधीन भूमि के चारों दिशा में मार्ग विस्तार हेतु निर्धारित भूमि छोड़कर निर्माण कार्य किया जावेगा तथा आवश्यक विकास नाली निर्माण, प्रकाश व्यवस्था करायी जावेगी।

(5) पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से प्रश्नाधीन आबंटित भूमि पर चारों ओर मार्ग के किनारे वृक्षारोपण कराया जाकर वृक्षों के संरक्षण की दृष्टि से आवश्यक उपाय कराया जावेगें।

(6) तहसीलदार, छिन्दवाडा द्वारा तैयार किये गये नक्शे में दर्शित मार्क के अनुसार आवेदित विभाग निर्माण कार्य करेगा।

आदेश की प्रति आवेदित विभाग, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार छिन्दवाडा की ओर भेजी जाकर, तहसीलदार छिन्दवाडा को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त आबंटित शासकीय भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेखों में आवश्यक दुरूस्ती कर मौके पर आवेदित विभाग को आधिपत्य सौंपे।

आदेश पारित एवं उद्घोषित।

न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

(महेशचन्द्र चौधरी)
कलेक्टर,
छिन्दवाड़ा।